रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102020-222560 CG-MH-E-19102020-222560

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942 No. 442] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अक्तूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020

- सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
 - 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
 - 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
 - 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, -
 - I. विनियम 4 का उप-विनियम (छ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
 - "(छ) आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक के मुख्य निवेश दल के पास –

5013 GI/2020 (1)

- (i) पर्याप्त अनुभव हो, जिसमें कम से कम किसी एक मुख्य व्यक्ति (की पर्सोनल) के पास पूँजी के पूल के संबंध में सलाह देने या उसके प्रबंधन में अथवा निधि (फंड) या आस्ति (असेट) या धन (वेल्थ) या पोर्टफोलियो प्रबंधन में अथवा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या अन्य वित्तीय आस्तियों (फाइनेंशियल असेट्स) की खरीद, बिक्री तथा उनमें लेनदेन (व्यौहार) करने संबंधी कारोबार में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; और
- (ii) कम से कम एक ऐसा मुख्य व्यक्ति हो जिसके पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से वित्त (फाइनेंस), अकाउंटेंसी, कारबार प्रबंधन (बिजनेस मैनेजमेंट), वाणिज्य (कॉमर्स), अर्थशास्त्र, पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) या बैंकिंग में व्यावसायिक योग्यता (वृत्तिक अर्हता) हो, अथवा सीएफए इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया गया सीएफए चार्टर हो अथवा ऐसी कोई दूसरी योग्यता (अर्हता) हो जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि विनियम 4(छ)(i) तथा 4(छ)(ii) में अनुभव तथा व्यावसायिक योग्यता के संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाएँ एक ही मुख्य व्यक्ति द्वारा भी पूरी की जा सकेंगी।"

- II. विनियम 20 के उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
 - "(6) प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा:

परंतु यह कि प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेश संबंधी निर्णयों को मंजूरी प्रदान करने के लिए एक निवेश समिति (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) गठित कर सकेगा, बशर्ते कि:

- (i) निवेश समिति के सदस्य आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए प्रबंधक की तरह ही समान रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (ii) प्रबंधक और निवेश समिति के सदस्य मिलकर और अलग-अलग यह सुनिश्चित करेंगे कि आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेशों के संबंध में इन विनियमों के प्रावधानों का, प्लेसमेंट मैमोरैन्डम (स्थानन ज्ञापन), निवेशक के साथ किए गए करार (एग्रीमेंट), किन्हीं अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) की शर्तों आदि का और किन्हीं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।
- (iii) जिन बाहरी सदस्यों के नाम, निवेशक बनाते समय, प्लेसमेंट मैमोरैन्डम या निवेशक के साथ किए गए करार या किन्हीं अन्य निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) में प्रकट (डिस्क्लोज़) न किए गए हों, उनकी नियुक्ति निवेश समिति में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशकों [उनके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि या स्कीम में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार] की सहमति से ही की जाएगी।
- (iv) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई किन्हीं अन्य शर्तों का पालन किया जाए।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./304/2020-21]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
 - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

- (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
- (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
- (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
- (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/37.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 namely:—

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012-
 - I. Sub-clause (g) of regulation 4 shall be substituted with the following, namely, -
 - "(g) The key investment team of the Manager of Alternative Investment Fund has -
 - adequate experience, with at least one key personnel having not less than five years
 of experience in advising or managing pools of capital or in fund or asset or wealth
 or portfolio management or in the business of buying, selling and dealing of
 securities or other financial assets; and
 - (ii) at least one key personnel with professional qualification in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market or banking from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university, or a CFA charter from the CFA institute or any other qualification as may be specified by the Board:

Provided that the requirements of experience and professional qualification as specified in regulation 4(g)(i) and 4(g)(ii) may also be fulfilled by the same key personnel."

- II. After sub-regulation (5) of regulation 20, the following shall be inserted, namely, -
 - "(6) The Manager shall be responsible for investment decisions of the Alternative Investment Fund:

Provided that the Manager may constitute an Investment Committee (by whatever name it may be called), to approve investment decisions of the Alternative Investment Fund, subject to the following:

- (i) The members of Investment Committee shall be equally responsible as the Manager for investment decisions of the Alternative Investment Fund.
- (ii) The Manager and members of the Investment Committee shall jointly and severally ensure that the investments of the Alternative Investment Fund are in compliance with the provisions of these regulations, the terms of the placement memorandum, agreement made with the investor, any other fund documents and any other applicable law.
- (iii) External members whose names are not disclosed in the placement memorandum or agreement made with the investor or any other fund documents at the time of onboarding investors, shall be appointed to the Investment Committee only with the consent of at least seventy five percent of the investors by value of their investment in the Alternative Investment Fund or scheme.
- (iv) Any other conditions as specified by the Board from time to time."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./304/2020-21]

Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on,
 - (1) 16th September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (2) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (3) 26th September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (4) 14th August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (5) 4th January, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (6) 6th March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (7) 1st June, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (8) 10th May, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (9) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.